निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 आश्विन 1939 (श0)

(सं0 पटना 930) पटना, बुधवार, 11 अक्तूबर 2017

गन्ना उद्योग विभाग

आदेश
20 सितम्बर 2017

सं० वि०उ०–02–03/11–1584——राज्य की चीनी मिलों के लिए पेराई सत्र 2014–15 से 2016–17 के लिए अपराम्परागत रूप में आरक्षित किये गये ग्रामों के आरक्षण की अवधि समाप्त हो चुकी है। उपरोक्त आलोक में ऐसे ग्रामों का आगे के वर्षो के लिए आरक्षण, प्रवृत्त आरक्षण के किसी अंश में आवश्यक सुधार एवं मुक्त क्षेत्रों के आरक्षण के उद्देश्य से विभागीय पत्र संख्या–1300 दिनांक–28.07.2017 के माध्यम से राज्य की चीनी मिलों से आगे के वर्षो के लिए आरक्षण प्रस्ताव की माँग की गयी थी। तद्आलोक में बिहार ईख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम–1981 की धारा–31(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, जितेन्द्र कुमार सिंह, ईखायुक्त, बिहार, पटना द्वारा मेसर्स **हरिनगर सुगर मिल्स लि०, हरिनगर, प० चम्पारण** से प्राप्त प्रस्ताव की सभी चीनी मिलों के प्रतिनिधियों, क्षेत्रीय ईख पदाधिकारियों, विभागीय पदाधिकारियो एवं अन्य संबंधितों के समक्ष दिनांक 18.09.2017 को पूर्वाहन 11:45 बजे सुनवाई की गयी।

विभागीय आदेश ज्ञापांक–2312 दिनांक 24.09.2015 के माध्यम से इस चीनी मिल को पराम्परागत रूप से पेराई सत्र 2015–16 से 2019–20 के लिए आरक्षित 362 ग्रामों के आरक्षण एवं विभागीय आदेश ज्ञापांक–2155 दिनांक–24.09.2014 के माध्यम से अपराम्परागत रूप से पेराई सत्र 2014–15 से 2016–17 के लिए आरक्षित 56 ग्रामों के आरक्षण से संबंधित आदेश पत्र का भी अवलोकन किया गया।

अपने क्षेत्र आरक्षण के प्रस्ताव के सन्दर्भ में मेसर्स हरिनगर सुगर मिल्स लि०, हरिनगर, प० चम्पारण के प्रबंधक श्री अशोक शुक्ला द्वारा बताया गया कि उनके चीनी मिल की पेराई क्षमता 10000 TCD है। प्रबंधन द्वारा मिल की पेराई क्षमता को 12500 TCD तक विस्तारित करने की कार्य योजना आरम्भ की गयी है तथा इस निमित्त राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

श्री शुक्ला द्वारा बताया गया कि पेराई सत्र 2017–18 के लिए उनका NCR 157.30 लाख क्विंटल निर्धारित किया गया है। उनके आरक्षित क्षेत्र में 129646.42 एकड़ में गन्ने की खेती हुई है, जिसमें अनुमानित 130 लाख क्विंटल गन्ना मात्र ही पेराई हेतु उपलब्ध होना संभावित है। NCR के अनुरूप उनके मिल को भी पेराई हेतु अतिरिक्त गन्ने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया अपने आरक्षित क्षेत्र में उनके मिल द्वारा वर्षवार ईख विकास के कार्यक्रम चलाये जाते हैं तथा किसानों को गन्ने की खेती हेतु ऋण भी मुहैया कराया जाता है।

उन्होंने बताया कि अपराम्परागत रूप से उनको आरक्षित होते आ रहे चनपटिया क्षेत्र के 43 ग्राम एवं बगहा–योगापट्टी–भितहाँ क्षेत्र में आरक्षित 13 ग्राम कुल 56 ग्राम विगत् 15–20 वर्षो से उनके चीनी मिल के साथ आरक्षित होते आये हैं। उनके आरक्षित क्षेत्र के लगभग 60 से 62 प्रतिशत भूमि में गन्ने की खेती होती है तथा उनके पेराई क्षमता के अनुरूप गन्ने की आवश्यकता की पूर्ति हेतु इन ग्रामों को उनके मिल के साथ आरक्षित किये जाने की आवश्यकता है। उपरोक्त आलोक में उनके द्वारा पूर्व से आरक्षित होते आ रहे 56 ग्रामों के अतिरिक्त भितहाँ एवं मधुबनी अंचल के मुक्त 7 ग्रामों तथा लौरिया चीनी मिल को अपराम्परागत आरक्षित 5 ग्रामों को उनके पक्ष में आरक्षित किये जाने की माँग की गयी।

सुनवाई में उपस्थित मेसर्स तिरूपति सुगर मिल्स लि०, बगहा के महाप्रबंधक श्री एस॰ एन॰ पी॰ सिन्हा द्वारा हरिनगर मिल्स द्वारा समर्पित किये गये प्रस्ताव का विरोध किया गया। उन्होंने बताया कि उनके चीनी मिल की पेराई क्षमता 8000 TCD है, जिसे तीन वर्षो के अन्दर 15000 TCD तक विस्तारित करने का उनके प्रबंधन का लक्ष्य है। उनके मिल के आरक्षित क्षेत्र को निरंतर घटाया ही गया है। पहले 302 ग्राम आरक्षित थे, वर्त्तमान् में 295 ग्राम आरक्षित हैं जिसमें मात्र 244 रेभेन्यू ग्राम हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके चीनी मिल के लिए गैर पराम्परागत् क्षेत्र में एक भी ग्राम आरक्षित नहीं है।

श्री सिन्हा द्वारा बताया गया कि पेराई सत्र 2017–18 के लिए उनका NCR 98.59 लाख क्विंटल निर्धारित किया गया है। उनके आरक्षित क्षेत्र में 60258.82 एकड़ में गन्ने की खेती हुई है, जिसमें अनुमानित 140 क्विंटल/एकड़ की दर से 84.36 लाख क्विंटल गन्ना मात्र ही पेराई हेतु उपलब्ध होना संभावित है। NCR के अनुरूप गन्ने की पेराई हेतु उनकी चीनी मिल को अतिरिक्त 14.23 लाख क्विंटल गन्ने की आवश्यकता है।

उन्होंने बताया कि गत् पेराई सत्र 2016–17 में उनके आरक्षित क्षेत्र से औसतन 146.54 क्विंटल/एकड़ के दर गन्ने की आपूर्ति हुई है। मिल के आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु यह आवश्यक है कि उनके आरक्षित क्षेत्र का विस्तार हो जिससे की बढ़े हुए क्षेत्र के माध्यम से मिल के गन्ने की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। उपरोक्त आलोक में उनके द्वारा चनपटिया क्षेत्र में हरिनगर चीनी मिल को आरक्षित 20 ग्राम एवं बगहा–योगापट्टी–भितहाँ क्षेत्र में आरक्षित 13 ग्राम तथा भाट क्षेत्र में अवस्थित 7 मुक्त ग्रामों के आरक्षण का विरोध किया गया।

बैठक में उपस्थिति लौरिया चीनी मिल के प्रबंधक द्वारा उनके मिल के आरक्षित होने वाले योगापट्टी अंचल के अपराम्परागत 5 ग्रामों के इस मिल द्वारा प्रस्तुत आरक्षण प्रस्ताव को अस्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया गया।

बैठक में पश्चिम चम्पारण जिले के मिल प्रतिनिधियों द्वारा पश्चिम चम्पारण जिला अन्तर्गत अपराम्परागत् रूप से ग्रामों के आगे के वर्षो के लिए आरक्षण की आवश्यकता की समीक्षा हेतु अनुरोध किया गया। अब तक बंद चीनी मिलों के क्षेत्र को अपराम्परागत रूप में तीन वर्षो के लिए आरक्षित किये जाते रहे हैं। Sugarcane control order के clause 6 A के प्रावधान के अनुसार 15 कि० मी० की परिधि के अन्दर कोई नई चीनी मिल नहीं लग सकती है। पश्चिम चम्पारण जिले की सभी चीनी मिलों ने अपने पेराई क्षमता का विस्तार किया है एवं आगे भी कर रही है। उपरोक्त के आलोक में एवं जिले में उपलब्ध खेती योग्य भूमि के दृष्टिगत् जिले में किसी अन्य नई चीनी मिल की स्थापना या बंद चीनी मिल के पुनर्जीवन की संभावना नहीं दिखती है। ऐसी स्थिति में आगे के वर्षो के लिए अपराम्परागत् रूप से इस जिले के ग्राम को आरक्षित करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। ऐसे ग्रामों को जिले की कार्यरत चीनी मिलों के साथ ईख अधिनियम की धारा 31 (1) के प्रावधानों के आलोक में परम्परागत् रूप से आरक्षित कर देना ही श्रेयस्कर प्रतीत होता है।

इस सुनवाई के पूर्व दिनांक 13.09.2017 को संबंधित क्षेत्र के गन्ना कृषकों की सुनाई हुई थी। सुनवाई के दौरान उनके द्वारा अभिव्यक्त की गई भावनाओं सहित सभी किसानों, उनके प्रतिनिधियों, जनपतिनिधियों से प्राप्त अभ्यावेदनों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया।

संयुक्त क्षेत्रीय विकास परिषद्, पश्चिम चम्पारण द्वारा किये गये अनुशंसा का भी अवलोकन किया गया। परिषद् द्वारा हरिनगर मिल को बगहा अंचल में आरक्षित सात ग्रामों को बगहा चीनी मिल के साथ आरक्षित करने तथा 7 ग्रामों को मुक्त रखने की अनुशंसा की गई है। नक्शे पर समीक्षा के क्रम में यह स्पष्ट हुआ कि सात ग्राम जो पूर्व में मुक्त थे, बगहा मिल के निकट है जिससे सुनवाई के क्रम में जिले की सभी मिल प्रतिनिधियों द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

सुनवाई के क्रम में मुख्य रूप से यह परिलक्षित हुआ कि हरिनगर चीनी मिल के आरक्षित क्षेत्र में 129646.42 एकड़ में ईख का आच्छादन है जिसमें अनुमानित 140 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से 181.51 लाख क्विंटल पेराई हेतु गन्ने की उपलब्धता है, जो इनके लिए निर्धारित NCR से भी अधिक है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में संबंधित सभी पक्षों को सुनने के पश्चात् सम्यक विचारोपरान्त मेसर्स हरिनगर सुगर मिल्स लि०, हरिनगर, प० चम्पारण के पक्ष में पेराई सत्र 2017–18 से 2021–22 (पाँच वर्षो) के लिए राज्य के पश्चिम चम्पारण जिला अन्तर्गत 49 ग्रामों को जिसका विवरण संलग्न अनुसूची–**''क''** एवं **''ख''** में अंकित है, को परम्परागत् रूप से आरक्षित किया जाता है। इसके अतिरिक्त चूँकि मेसर्स हरिनगर चीनी मिल को पूर्व से आरक्षित होते आ रहे बगहा अंचल के 7 ग्राम एवं भाट मुक्त क्षेत्र के 7 ग्राम को मेसर्स तिरूपति सुगर्स लि० के साथ पराम्परागत रूप से आरक्षित किया गया है, अतः इन ग्रामों के किसानों को यदि हरिनगर मिल द्वारा गन्ने की खेती हेतु ऋण उपलब्ध कराया गया है तो वैसी स्थिति में हरिनगर चीनी मिल ग्रामवार एवं किसानवार दिये गये ऋण से संबंधित विवरणी विभाग को उपलब्ध

करायेगी। विभाग के स्तर से उसकी जाँच एवं समीक्षा कर बगहा चीनी मिल के माध्यम से उसकी वसूली कराते हुए हरिनगर चीनी मिल को वसूल की गयी राशि वापस करने हेतु आवश्यक निर्देश दिये जायेंगे।

आदेश से,
जितेन्द्र कुमार सिंह,
ईखायुक्त, बिहार।

पेराई सत्र 2017–18 से 2021–22 तक के लिए हरिनगर सुगर मिल्स लि०, हरिनगर प० चम्पारण को परम्परागत रूप में आरक्षित 49 ग्रामों की सूचीः–

अनुसूची–''क''

जिला का नाम	प्रखण्ड	क्रमांक	ग्राम का नाम	राजस्व थाना संख्या
प० चम्पारण	**योगापट्टी**	01.	पिपरपॉती	395
		02.	भरतापट्टी	396
		03.	गरदहीया	397
		04.	ढ़ढ़वा	399
		05.	पिपरहिया	400
	भितहॉ	06.	पकड़ी	398

अनुसूची–''ख''

जिला का नाम	प्रखण्ड	क्रमांक	ग्राम का नाम	राजस्व थाना संख्या
प० चम्पारण	**चनपटिया**	01.	कोकिलाडीह	2
		02.	सिन्दुरिया	3
		03.	भैसाही	5
		04.	नवगॉवा	53
		05.	गोईता टोला	54
		06.	लच्छू छापर	55
		07.	पोखरिया राय	56
		08.	पोखरिया खुर्द	57
		09.	पुरैना गोसाई	59
		10.	करनपट्टी	60
		11.	लगुनाहा	62
		12.	कुडवा मठिया	81
		13.	पटखौली	83
		14.	मिश्ररौली	84
		15.	सिसवनिया	85
		16.	पकड़ीहार	86
		17.	खरदेउर	87
		18.	मिसकार टोला	88
		19.	जियाछा टोला	89
		20.	चुहरी	90
		21.	पोखरिया बाबू	91
		22.	सिरिसिया	92
		23.	मुशहरी	93
		24.	सवेया टोला	94
		25.	सवेया खुर्द	95
		26.	बंदो पट्टी	96
		27.	तुरहा पट्टी	100

		28.	जिनवलिया	101
		29.	विश्वास	102
		30.	भारपटिया	103
		31.	पतरखा नौरंगिया	122
		32.	हीरा पाकड़	123
		33.	परसा	124
		34.	गुरवलिया विश्वास	125
		35.	गुरवलिया बंदोवस्ती	126
		36.	विशुनपुर	138
	बैरिया	37.	मथौली	139
		38.	भटवलिया	144
	लौरिया	39.	मौलानगर	483
		40.	परसौना	484
		41.	वृंदावन	485
	जोगापट्टी	42.	मिश्रौली	97
		43.	पटखौली	98

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
बिहार गजट (असाधारण) 930-571+50-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in